

7-9-20 पञ्जाबी देश दूरी / उपचार अधिवक्ता उप.

विपक्षीय अधिवक्ता ने छा.पत्र प्रस्तुत कर विवेक
किया कि प्रार्थना पत्र क्र. 232 R.T.A. में कि
जी.पी.ओ. अधिवक्ता के विरुद्ध आपेय किया कि
है, इनका समाधान हो जाने से प्रार्थना पत्र में
वर्णित आधारों का कोई अर्थ नहीं रहा है कि
बाद प्र.पत्र क्र. 232 R.T.A. रखा
है पर रकार्ड कराया जाये। कि विपक्षीय
के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता ने भी कोई
आपेय प्रकृत नहीं की है। अतः प्रमाण है कि
है पर बाधवादी आपेय की जाती है।

जिला कलेक्टर
मीलवाड़ा

आपेय
विपक्षीय
अधिवक्ता